आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

01/05/2017

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A Case No. -13/2016-17

मुर्तजा मियाँ एवं अन्य **बनाम** रहीम मियाँ एवं अन्य।

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Rev.Misc. Case No-15/2008-09 में दिनांक–20.04.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Rev.Misc. Case No-15/2008-09 में दिनांक–20.04.2016 को पारित आदेश में अपीलकर्त्ता मुर्तजा मियाँ एवं अन्य द्वारा मौजा–नवाडीह, दाग सं0–1004 के कुल रकवा–13 बीघा, 8कट्ठा, 3 धुर जमीन की बंदोबस्ती प्रधानी पट्टा के सीमांकन/सम्पुष्ट हेतु किये गये आवेदन को खारिज किया गया है।

अपीलकर्त्ता मुर्तजा मियाँ एवं अन्य के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा–नवाडीह का जमाबंदी रैयत है। मौजा–नवाडीह के खाता सं0–1004 गत सर्वे सेटेलमेंट खतियान में किस्म–पुरातन पतित कहकर दर्ज है। खाता सं0–1004 किस्म–पुरातन पतित के सटे अपीलकर्त्तागण के पिता के जमाबंदी दाग सं0–1003 जमीन है। अपीलकर्त्तागण के पिता द्वारा अपने जमाबंदी दाग सं0–1003 से सटे खाता सं0–1004, किस्म–पुरातन पतित के रकवा–5.61 एकड़ जमीन को धानी (कुल 8 कियारी) जमीन को खंडित कर धान उपजाया जाता है एवं वे शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है। मौजा–नवाडीह प्रधानी मौजा होने के कारण एवं दीर्घ दिनों से प्रश्नगत जमीन का खंडित के पश्चात शांतिपूर्वक दखल कब्जा के कारण उनके द्वारा 5.61 एकड़ अर्थात 13 वीघा, 8 कट्ठा एवं 3 धुर जमीन को ग्राम प्रधान से प्रधानी पट्टा का माँग किये जाने के कारण ग्राम प्रधान द्वारा मौजा–नवाडीह के दाग सं0–5.61 एकड़ जमीन का प्रधानी पट्टा (15 भाद्रा 1343) को दिया गया। प्रधानी पट्टा प्राप्ति के बाद भी उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन का जोत–आवाद करते हुए वे शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है। यदि उत्तरवादी को दाग सं0–1004 के अंश रकवा का बंदोबस्ती किसी न्यायालय द्वारा किया गया हो लेकिन उक्त दाग सं0 के अंश रकवा पर किसी उत्तरवादी द्वारा 5 वर्ष के अन्दर या पश्चात कोई दखल कब्जा नहीं है।

उत्तरवादी रहीम मियाँ एवं अन्य के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि अब्दुल वाहिद मियाँ, इसाक मियाँ, युनुस मियाँ एवं जमरूद्दीन मियाँ को अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement. Case No-163/1981-82 में दिनांक–09.11.1983 को पारित आदेश द्वारा मौजा–नवाडीह, दाग सं0–1004 के अंश रकवा–3.30 एकड़ जमीन का बंदोबस्ती की स्वीकृति प्रदान किया गया है। उक्त बंदोबस्ती का सीमांकन एवं लगान का स्वीकृति अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा राजस्व विविध वाद सं0–272/1982–83 द्वारा स्वीकृत है। बंदोबस्ती जमीन का लगान नियमित रूप से भुगतान किया जाता है। उत्तरवादी युनुस मियाँ एवं मुसा मियाँ के पिता उलमत मियाँ को मौजा–नवाडीह के तत्कालीन प्रधान मिठु मियाँ द्वारा दाग सं0–1004 के अंश रकवा–1.46 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती प्रधानी पट्टा दिया गया है। फिल्ड बुझारत के दौरान उक्त बंदोबस्ती जमीन का जमाबंदी खाता सं0–26/1 कायम किया गया तदनुसार नियमित रूप से उनके द्वारा राजस्व लगान का भुगतान किया जाता है।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के वाद Settlement. Case No-163/1981-82 में दिनांक–09.11.1983 को पारित आदेश द्वारा मौजा–नवाडीह, दाग सं0–1004 के अंश रकवा–3.30 एकड़ जमीन का बंदोबस्ती की स्वीकृति प्रदान किया गया है। पुनः निम्न न्यायालय के अभिलेख में मौजा–नवाडीह, दाग सं0–1004 के अंश रकवा–1.46 एकड़ जमीन का बंदोबस्ती दिया जाना उल्लेख है। अंचल अधिकारी जामताड़ा, अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में मुलताज मियाँ एवं अन्य सभी के पिता उसमान मियाँ द्वारा मौजा–नवाडीह के दाग सं0–1004 के अंश रकवा–5.61 एकड़ भूमि जिस पर वे काबिज है, की प्राप्त प्रधान पट्टा सं0–22796, दिनांक–अस्पष्ट का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत बंदोबस्ती हेतु अनुशंसा किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Rev.Misc. Case No-15/2008-09 में दिनांक–20.04.2016 को पारित आदेश द्वारा आवेदक मुर्तजा मियाँ एवं अन्य द्वारा मौजा–नवाडीह के प्रश्नगत भूमि की बंदोबस्ती हेतु दिये गये आवेदन को खारिज किया गया एवं

मौजा–नवाडीह के दाग सं0–1004 में 0.85 एकड़ जमीन अवशेष है, को चिन्हित कर सुरक्षित रखने हेतु संबंधित अंचल अधिकारी/ग्राम प्रधान को निदेश दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Rev.Misc. Case No-15/2008-09 में दिनांक–20.04.2016 को पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
4.3.24

Seen
4/3/24

Seen
Addl
4/3/2024

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2024.03.04 16:15:44 +05:30
Location: 192.168.43.106